तारीख हुक्म	**ईश्वर भाटी बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, सेखाला)** सू.अ.अपील संख्या 215/2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.22	अपीलार्थी ईश्वर भाटी निवासी ग्राम पोस्ट सेखाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2022 में उसके द्वारा (1) राजकीय प्रा.वि. धोरे वाले मेघवलों की ढाणी व धोरे वाले मेघवलों की ढाणियों के कटाण रास्ता (खसरा न. 552,547,556,558,560) की स्वीकृति से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, सेखाला) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, सेखाला) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, सेखाला) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, सेखाला) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	